राजस्थान राज्य/ सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी
नि.फौ.प्र.सं. —: 515/2025
रजिस्ट्रेशन संख्या —: 515/2025
निर्णय दिनांक 09.07.2026

न्यायालय :— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी —: तुषार बिश्नोई, आर0जे0एस0
नं0फौ0प्र0सं0 —: 515/2025
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या —: 515/2025
सी.एन.आर. संख्या —: RJHG160012012025
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या —: 408/2025
अपराध अन्तर्गत धारा —: 331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता

भाग—प्रथम
(अ)

परिवादी	सहदेव सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी कमरानी, पीएस टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी पुत्र हंसराज उर्फ हंसला उम्र 18 वर्ष 02 माह, निवासी कमरानी हाल चक 02, एचएमएम, पंचायत झाम्बर, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।
तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक सहायतार्थ नियुक्त पैनल विद्वान अधिवक्ता	श्री श्योकत अली
अधिवक्ता परिवादी	—

(ब)

अपराध की दिनांक	17.09.2025 से 19.09.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	23.09.2025
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	14.11.2025
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	28.11.2025
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	02.02.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	———————
निर्णय दिनांक	09.07.2026
दंडादेश की दिनांक	———————

(स)
अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दंडादेश	धारा—428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी	दिनांक 10.10.2025	लगातार न्यायिक अभिरक्षा में	331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता	दोषमुक्त	——	——

भाग– द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची
अ– अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पीडब्ल्यू–1	सहदेव	परिवादी
पीडब्ल्यू–2	राजेश कुमार	नक्शा मौका बाबत्
पीडब्ल्यू–3	नेतराम	नक्शा मौका बाबत्
पीडब्ल्यू–4	कनिष्क सिंह	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू–5	हर्ष सिंह	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू–6	प्रकाश चन्द	अनुसंधान अधिकारी

ब– बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स– न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ– अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्शपी–1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्शपी–2	एफआईआर
3	प्रदर्शपी–3 व प्रदर्शपी–3ए	नक्शा मौका घटनास्थल व हालात मौका
4	प्रदर्शपी–4	फर्द तस्दीक घटनास्थल मुलजिम सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी
5	प्रदर्शपी–5	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी
6	प्रदर्शपी–6	प्रमाण पत्र धारा 63 (4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
7	प्रदर्शपी–7	मुलजिम सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी की इत्तिला धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
8	प्रदर्शपी–8	आपराधिक रिकॉर्ड

ब– बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्शडी–1	पुलिस बयान सहदेव सिंह
2	प्रदर्शडी–2	पुलिस बयान कनिष्क सिंह
3	प्रदर्शडी–3	पुलिस बयान हर्ष सिंह

स– न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

द– भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
1	आर्टिकल–1	पैनड्राईव

1– प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी सहदेव सिंह ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी–1 पुलिस थाना टिब्बी में दिनांक 23.09.2025 को इस आशय की पेश की कि उसके निर्माणधीन मकान फिरनी गांव कमरानी से दिनांक 17.09.2025 को दो बड़े कार्टून बर्तनों के, एक बड़ी साईकिल, एक थैला गेहूं इत्यादि चोरी हो गये। इसी तरह दिनांक 19.09.2025 को पुनः उसके मकान के ताले तोड़कर घरेलू सामान व एक इलेक्ट्रिक कटर व एक थैला गेहूं इत्यादि चोरी हो गया। उसके मकान में निगरानी के लिए कैमरे लगे हुए हैं, जिनको उसने व उसके पुत्र हर्ष व कनिष्क ने खंगाला व सामान देखा तो उपरोक्त सामान नहीं मिला। कैमरे में शेरियां व सुनील व हंसला की पत्नी नजर आ रहे हैं इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–408/2025 अन्तर्गत धारा 331(3), 305(ए), 3(5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2025 को आरोप अन्तर्गत धारा 331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता का प्रसंज्ञान अभियुक्त के खिलाफ लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. न्यायालय द्वारा बहस आरोपी सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या– 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–2 पर ही भाग –'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये व पृष्ठ संख्या–3 पर वर्णित भौतिक वस्तुएं व पृष्ठ संख्या–3 पर भाग 'ब' में वर्णित दस्तावेज बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्शित करवाये गये।

4. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी को धारा 353 बीएनएसएस के अन्तर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने एवं स्वयं को झूठे मुकदमा में फंसाये जाने का कथन किया

है। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने जाहिर किया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी का आरोप संदेह से परे प्रमाणित है। यदि गवाहों के बयानों में थोड़ा बहुत विरोधाभास आया है तो उसे अनदेखा किया जा सकता है। पत्रावली पर मौजूद पैनड्राईव में अभियुक्त के द्वारा चोरी किया जाना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अभियोजन अधिकारी ने माननीय न्यायिक दृष्टांत Hamirbhai kachhod vs State of Gujrat SC 2021 online 347 पेश किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जाहिर किया कि एफआईआर के मुताबिक तीन व्यक्तियों के विरूद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जबकि पुलिस ने एक ही व्यक्ति को आरोपी माना है। किसी भी व्यकित ने अपनी आंखों से अभियुक्त को चोरी करते हुए नही देखा। गवाह पीडब्ल्यू–1 परिवादी सहदेव, पीडब्ल्यू–4 कनिष्क सिंह व पीडब्ल्यू–5 हर्ष सिंह के बयानों में भारी विरोधाभास है और उनके द्वारा एफआईआर से बढ़ते हुए अन्य सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक हैमर व अन्य सामान भी चोरी करना बताया जा रहा है। अभियुक्त से प्रकरण में कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। पत्रावली में अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाते समय उसे गिरफ्तारी की कोई सूचना लिखित रूप में नहीं दी गई है। अभियुक्त के किसी भी परिजन को भी लिखित में सूचना नही दी गई है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

6. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन का सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान परिशीलन किया गया। इस प्रकार के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते हैं :–

—: बिन्दु संख्या–1 :—

''क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.09.2025 तथा दिनांक 19.09.2025 को किसी समय वाका रिहायशी मकान मुस्तगीस, मौजा कमरानी में परिवादी सहदेव सिंह का मकान, जो मानव निवास के काम आता है, में कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित किया तथा परिवादी की सहमति के बिना दिनांक 17.09.2025 को परिवादी के रिहायशी मकान में घुसकर परिवादी के घर में रखे दो बड़े कार्टून बर्तनों के, एक नई बड़ी साईकिल, एक थैला गेहूं तथा दिनांक 19.09.2025 को इलेक्ट्रिक कटर व एक थैला गेहूं बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी किये ? ''

—: बिन्दु संख्या–2 :—

''यदि हां, तो अभियुक्त के वर्णित अपराध हेतु उचित दण्ड क्या होगा? ''

–: बिन्दु संख्या–1 :–

07. हस्तगत प्रकरण का उद्भव गवाह पीडब्लयू–1 परिवादी सहदेव सिंह के द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी–1 से होता है। गवाह पीडब्ल्यू–1 सहदेव सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में जाहिर किया कि दिनांक 17.09.2025 व 19.09.2025 को उसके घर के पास ही निर्माणाधीन मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुये है। उक्त निर्माणाधीन मकान में से शेरिया व सुनील ने तालें तोड़कर रात को घरेलू सामान व इलेक्ट्रॉनिक सामान व एक थेला गेंहू चुराकर ले गये। उन्होंने अगली रोज सुबह सीसीटीवी कैमरे देखा तो उन्हें कैमरें में उक्त दोनों व्यक्ति शेरिया, सुनील तथा उनकी माता, (हंसला की पत्नी) चोरी करते हुये कैमरे में नजर आ रहे थे, फिर उसने मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह** गवाह जाहिर करता है कि उसने एल.एल.बी. पढ़ाई की है। उसने चोरी होने के कितने दिन बाद पुलिस थाने में प्रार्थना पत्र दिया था उसे याद नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्शपी–1 में तारीख को हाथ से काटकर 22 को 23 किया है। गवाह ने थाने पर केवल जाना जाहिर किया है। गवाह कथन करता है कि घटना के कितने दिन बाद पुलिस आई थी उसे ध्यान नहीं है। मौके पर 2–3 पुलिस वाले थे, दो–चार अड़ोसी–पड़ोसी थे और वह स्वयं मौजूद था। गवाह आगे जाहिर करता है कि उसने चोरी करते हुए किसी को नही देखा। कैमरे में चोरी करते हुए हंसराज का पुत्र शेरिया, सुनील व हंसराज की पत्नी नजर आ रहे हैं। गवाह ने आगे स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी–1 में यह नहीं लिखा कि चोरी करते हुए कैमरे में मुलजिमान नजर आ रहे हैं। गवाह स्वीकार करता है कि मुलजिमान गेहूं की बोरी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। कनक यूरिया के कट्टे में थी और उस कट्टे पर ऐसा मार्का नहीं लिखा था, जिससे यह पता चले कि वो कट्टा उनके घर का था। गवाह स्वीकार करता है कि जो कट्टा कैमरे में दिखाई दे रहा है वो कनक का कट्टा आम घरों में पिस्वाने के लिए चक्की पर ले जाया जा सकता है और इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वो अपने घर से पीसना करने के लिए ही कट्टा लेकर जा रहा हो। गवाह यही जाहिर करता है कि पुलिस ने उसे चोरीशुदा सामान बरामद करके नहीं दिया था।

इस प्रकार गवाह ने दिनांक 17.09.2025 व 19.09.2025 दोनों ही दिनांक को अपने घ ार में चोरी होना बताते हुए उसमें से रात के समय सामान व गेहूं का थैला चुराकर ले जाना बताया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई पेनड्राईव आर्टिकल–1 में मौजूद वीडियो के अनुसार रात के समय चोरी करने की घटना भी कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। अभियुक्त को चोरी करते हुए किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा और ना ही अभियुक्त से चोरी का कोई सामान बरामद हुआ है।

08. गवाह पीडब्ल्यू–4 कनिष्क सिंह व पीडब्ल्यू–5 हर्ष सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा

में एक समान ही कथन करते हुए जाहिर किया कि वह अपने गांव में रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। उनका फिरनी पर भद्रकाली की तरफ जो सड़क जाती है उस पर घर का निर्माण चल रहा था जिसमें उक्त मकान के निर्माण संबंधित व अन्य जरूरत का सामान पड़ा था। दिनांक 17.09.2025 को उनके उक्त घर से दो कणक के कट्टे भरे हुये, दो कार्टून बर्तन, एक कट्र एक साईकिल चोरी हुये, उसके दो दिन बाद फिर से दिनांक 19.09.2025 को दोपहर के लगभग 02:00–2:30 बजे पास वाले मकान से घुसकर उनके घर के अन्दर घुस गये और दोबारा कनक का कट्टा व इलेक्ट्रॉनिक हेमर चुरा कर ले गये। उनके घर में कैमरे लगे हुये थे, उन्होंने कैमरों को संभाला और देखा कि उनके घर में सुनील व शेरिया ने चोरी की थी। यह दोनों ही हंसराज के बेटे है। उन्होंने कैमरों में देखा कि शेरिया व सुनील उनके घर के अन्दर घुसे थे तथा उनकी मां उनके घर के बाहर घूम रही थी। नक्शा मौका घटनास्थल पुलिस ने उनके घर पर पुलिस ने गवाह पीडब्ल्यू–5 के सामने तैयार किया था, जो प्रदर्शपी–3 है, जिस पर सी से डी स्थान पर गवाह के हस्ताक्षर है। उनके पुलिस बयान हुये थे। **दौराने जिरह गवाह** पीडब्ल्यू–4 कनिष्क सिंह ने जाहिर किया कि जब उनके मकान में पहली बार चोरी हुई थी तब उन्होंने पुलिस में कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया। जब पहली बार चोरी हुई तब कैमरे में चोर आ गये थे और सबसे पहले हर्ष सिंह ने ही कैमरा चैक किया था। गवाह यह स्वीकार करता है कि गांव के फिरनी पर हर आदमी का आना जाना लगा रहता है। गवाह आगे यह भी स्वीकार करता है कि कनक का कट्टा गली में आम आदमी चक्की पर देने के लिए ले जा सकता है। गवाह आगे यह भी जाहिर करता है कि उनका कनक का कट्टा पीले रंग का था, परन्तु उसने पुलिस को नही ऐसा नही बताया था। गवाह आगे जाहिर करता है कि एक कनक का कट्टा वापस मिला है व दूसरा नहीं मिला है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–5 हर्ष सिंह ने **दौराने जिरह** जाहिर किया कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने किसी भी व्यक्ति को चोरी करते हुए नहीं देखा। मौके पर पुलिस दो बार आई थी। गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्शडी–3 साईकिल चोरी होने का नहीं लिखवाया जाना जाहिर करता है। गवाह जाहिर करता है कि भद्रकाली रॉड़ जो काफी व्यस्त रहती है और वहां आने जाने वाले लोगों की फोटो कैमरा में आती है और लोग अपना घरेलू व अन्य सामान ले जाते हुए कैमरे में दिखाई देते हैं।

इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों के बयानों के अनुसार उनके घर में दिनांक 17.09.2025 व दिनांक 19.0.2025 को दो बार चोरी हुई थी। गवाह पीडब्ल्यू–4 ने इलेक्ट्रॉनिक हैमर भी चुराया जाना बताया है, किन्तु ऐसे कोई कथन अन्य गवाहान ने नही किये हैं। गवाह पीडब्ल्यू–5 हर्ष सिंह ने साईकिल चोरी होना बताया है, जबकि ऐसा कथन गवाह पीडब्ल्यू–4 कनिष्क सिंह ने नहीं किया है। इन दोनों गवाहों ने यह भी जाहिर किया है कि उन्होंने किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा था और कनक का पीला रंग का कट्टा उन्हीं का था ऐसा कोई मार्का उस पर नही बनाया गया था। दोनों ही गवाह कनक का एक कट्टा वापस मिल जाना

बताते हैं, जबकि पत्रावली पर कनक के कट्टे की कोई फर्द बरामदगी मौजूद नहीं है।

09. गवाह पीडब्ल्यू–2 राजेश कुमार व गवाह पीडब्ल्यू–3 नेतराम प्रदर्शपी–4 फर्द तस्दीक घटनास्थल के गवाहान हैं, किन्तु दोनों ही गवाह यह नहीं बता पाये हैं कि कमरानी गांव के कौनसे वार्ड व कौनसे मकान की तस्दीक करने के लिए गये थे। गवाहों को यह भी नहीं पता कि तस्दीकशुदा मकान के अड़ोस–पड़ोस में कौन था। गवाह पीडब्ल्यू–3 नेतराम ने तो नक्शा मौका तस्दीक करने के समय मुलजिम के साथ जाना भी नहीं बताया है।

10. गवाह पीडब्ल्यू–6 प्रकाशचन्द, अनुसंधान अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा किये गये अनुसंधान का सिलसिलेवार विवरण देते हुए जाहिर किया कि दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया। नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी गवाह सहदेव सिंह, सी से डी हर्ष सिंह, ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी–3 मजरूबान के समक्ष मौके पर तैयार किया गया। हालात मौका प्रदर्श पी–3ए है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण के गवाह सहदेव सिंह, हर्ष सिंह, कनिष्क सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। प्रकरण के प्रार्थी सहदेव सिह ने उक्त निर्माणाधीन भवन में लगे सीसीटीवी फुटेज का पैन ड्राइव पेश किया। पैनड्राइव आर्टिकल–1 है। प्रमाण पत्र धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी को चैक लिस्ट तैयार कर जरिये फर्द गिरफतार किया। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी गवाह नेतराम, सी से डी मुलजिम सुनील, ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी की ईत्तिला प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। उक्त इत्तिला में मुलजिम ने कहा कि उसने गांव के सहदेव कड़वासरा के निर्माणाधीन मकान से जो गेहूं का कट्टा चोरी किया था वह आपको साथ चलकर बता सकता है। आपराधिक रिकॉर्ड मुलजिम प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसके अनुसंधान में मुलजिम सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी के विरूद्ध अपराध धारा 305(ए), 331(3) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली थानाधिकारी के सुपुर्द की जिन्होंने माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। **दौराने जिरह** गवाह स्वीकार करता है कि चोरीशुदा कोई सामान मुलजिम से बरामद नहीं हुआ था। दोनों बार घटनास्थल पर जाने के समय सहदेव और उसके लड़का ही उपस्थित थे उनके अलावा कोई मौजूद नहीं था। गवाह ने यह भी जाहिर किया कि जब वह मौका देखने गया तब किसी के भी पैरों के निशान मौके पर मौजूद नहीं थे, जिसका कारण गवाह ने फर्श का पक्का होना बताया है। गवाह ने जाहिर किया कि मुलजिम को उसने प्रोडक्शन वारण्ट से सिरसा जेल से गिरफ्तार किया था।

11. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ पवन

उर्फ सोनू उर्फ खबरी को किसी भी व्यक्ति ने वरवक्त घटना चोरी करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था। प्रकरण में अभियुक्त से किसी भी चोरीशुदा सामान की कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त की इत्तिला प्रदर्शपी–7 पर केवल तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी–4 बनाया गया है, परन्तु उसके मौतबिरान गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास है। फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी–4 अभियोजन की कोई सहायता नहीं करता है। अभियोजन का समस्त मामला सीसीटीवी कैमरा की फुटेज पर टिका हुआ है, जो कि पेनड्राईव आर्टिकल–1 में मौजूद है। आर्टिकल–1 पेनड्राईव का अवलोकन करने से उसमें फोटोग्राफस व वीडीयो फुटेज मौजूद है। पेनड्राईव में चार सीसीटीवी फुटेज, एक पीले रंग के प्लास्टिक कट्टे की फोटो है, एक फोटो केवल दीवार व मोटरसाईकिल की है तथा दिनांक 19.09.2025 की तीन वीडियो जो 03 मिनट 54 सेकण्ड, 05 मिनट 07 सेकण्ड तथा 17 सेकण्ड की है जिसमें अलग–अलग व्यक्तियों की रास्ते में जाते हुए की वीडियो है तथा दिनांक 17.09.2025, समय 02:49 मिनट तथा 05:00 मिनट की एक वीडियो है तथा दिनांक 19.09.2025 समय 02:32 मिनट का वीडियो 02 मिनट 9 सेकण्ड की है। इन दोनों वीडियो में एक व्यक्ति एक निर्माणाधीन मकान खिडकी के पास खड़ा हुआ, और उसके बगल में एक पीले रंग का कट्टा रखा हुआ नजर आ रहा है। इस व्यक्ति के द्वारा खिड़की खोलने के काफी प्रयास किये गये है किन्तु खिड़की उससे नही खुल पायी है, फिर यह व्यक्ति उस पीले कट्टे को अपने कंधे पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के अलावा अन्य किसी भी वीडियो फुटेज में कोई भी व्यक्ति घर के अन्दर मौजूद नहीं है। बाकी समस्त फुटेज घर के बाहर की है। ऐसे में दिनांक 19.09.2025 को चोरी की घटना की ताईद नहीं होती है। जहां तक दिनांक 17.09.2025 की घटना का प्रश्न है तो यह वीडियो फुटेज यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि कोई व्यक्ति परिवादी सहदेव के घर में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, 2 कार्टून बर्तन, एक कटर, एक इलेक्ट्रॉनिक हैमर, एक साईकिल व कनक के दो कट्टे चोरी करके लिये गये हो। गवाह पीडब्ल्यू–1 परिवादी सहदेव के बयानों के अनुसार ऐसी कोई वीडियो फुटेज पत्रावली पर नहीं है जिसमें तीन व्यक्ति रात के समय चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की पहचान परिवादी से नहीं करवायी गई है। जो पीला कट्टा वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है, वह कट्टा परिवादी सहदेव का ही हो ऐसी साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं आई है। वीडियो फुटेज दिनांक 17.09.2025 को दिखाई देने वाला व्यक्ति अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी ही है यह तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। परिवादी की ओर से एफआईआर भी चोरी की तथाकथित प्रथम घटना से 6 दिन तथा दूसरी घटना से 4 दिन की देरी से दर्ज करवाई गई है। एफआईआर को देरी से दर्ज करवाने का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है।

12. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान व दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचनानुसार अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.09.2025 तथा दिनांक 19.09.

2025 को किसी समय वाका रिहायशी मकान मुस्तगीस, मौजा कमरानी में परिवादी सहदेव सिंह का मकान, जो मानव निवास के काम आता है, में कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित किया तथा परिवादी की सहमति के बिना दिनांक 17.09.2025 को परिवादी के रिहायशी मकान में घुसकर परिवादी के घर में रखे दो बड़े कार्टून बर्तनों के, एक नई बड़ी साईकिल, एक थैला गेहूं तथा दिनांक 19.09.2025 को इलेक्ट्रिक कटर व एक थैला गेहूं बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी करने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी को धारा 331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

—: आदेश :—

13. फलतः **''अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ पवन उर्फ सोनू उर्फ खबरी पुत्र हंसराज उर्फ हंसला उम्र 18 वर्ष 02 माह निवासी कमरानी हाल चक 02, एचएमएम, पंचायत झाम्बर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।''**

एसडी/—
तुषार बिश्नोई
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

14. निर्णय आज दिनांक 09.07.2026 को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

एसडी/—
तुषार बिश्नोई
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

नोट :— जांचा और सत्यापित।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.13 10:25:50 IST